आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–05 / 2014–15 (आपू० वि० अपील

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
01.08.2017	आदेश प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद सं0 05 / 2014–15 देवनंदन मंडल, पे0 स्व0 दुखा मंडल, ग्राम+पोस्ट –सैदपुर, थाना–मानसी, जिला– खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 417 अनु0 आपूर्ति, दिनांक 05.08.2014 से विछुब्ध होकर दाखिल किया गया है। दाखिल अपील में अपीलकर्त्ता द्वारा कहा गया है कि दिनांक 05.08.2014 को 10.20 बजे पूर्वाह्न में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा जन वितरण प्रणाली बिक्रेता की दूकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री देवनंदन मंडल उपस्थित नहीं थे। बिक्रेता 64 वर्ष के है, शुगर की बिमारी से ग्रसित है और अपने परिवार के सदस्यों के साथ ईलाज के लिए खगड़िया गए हुए थे और अपने पुत्र को दूकान का देखने हेतु अधिकृत किए थे। उनका यह भी कथन है कि बिक्रेता के अनुज्ञप्ति सं0 20 एम0 / 2007 को रद्द कर दिया गया जो कानून एवं न्याय संगत नहीं है। उनका यह भी कहना है कि बिक्रेता के विरुद्ध किसी भी उपभोक्ता का कोई शिकायत नहीं है। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 417 / अनु0 आपूर्ति, दिनांक 05.08.2014 को निरस्त करते हुए आबंटन चालू करने का अनुरोध किया गया। विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया के अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा नही है तथा इस अपील वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गयी। अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन से स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 05.08.2014 को 10.20 बजे पूर्वाह्न में अपीलकर्त्ता के दूकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जन वितरण बिक्रेता दूकान पर उपस्थित नहीं थे। परंतु उनके पुत्र द्वारा दुकान खोलकर रखी गयी थी। दूकान के बाहर सूचना पट्ट टंगा हुआ नहीं पाया गया। जन वितरण प्रणाली के बेटे से सभी प्रकार की पंजी की मांग किये जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया। जन वितरण प्रणाली बिक्रेता दूकान के बगल में स्टॉक	

(भंडार) कमरा में अनाज के साथ–साथ सिमेंट की बोड़ी तथा अन्य कचड़ा रखा हुआ पाया गया। अन्य सामग्री कचड़ा रहने से भंडारित खाद्यान्य की गुणवता प्रभावित हो रही थी तथा चावल एवं गेहूँ इधर–उधर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में रखा हुआ था। इसके अलावे दूकान के बगल के कमरे में आटा चक्की का संचालन उनके बेटे द्वारा की जा रही थी। आटा चक्की कमरे को उनके बेटे द्वारा खोला गया तथा आटा चक्की के ईंजन में डीजल के स्थान पर किरासन तेल पाया गया। किरासन तेल को इंजन से निकालने का काम जन वितरण बिक्रेता दूकान बिक्रेता के बेटे द्वारा किया गया। सम्पूर्ण प्रकरण की विडयोंग्राफी करायी गयी। आटा चक्की के इंजन में उपभोक्ताओं का किरासन तेल उपयोग में लाया जाना अनियमितता का घोतक पाया गया। उक्त के आलोक में जन वितरण बिक्रेता श्री देवनंदन मंडल के अनुज्ञप्ति सं0 20 एम0/2007 को तत्काल प्रभाव से अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 417/अनु0 आपूर्ति, दिनांक 05.08.2014 द्वारा रद्द का दिया गया तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मानसी को उनके विरूद्ध ई0सी0 के तहत स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का निदेश दिया गया।

अपीलार्थी लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है। अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय दिया गया, परंतु उनकी लगतार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में और कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री देवनंदन मंडल की अनुज्ञप्ति अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा रद्द किया गया है तथा अपीलार्थी की लगातार अनुपस्थिति से भी उपरोक्त बाते परिलक्षित होती हैं।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 417/अनु0 आपूर्ति, दिनांक 05.08.2014 को यथावत रख जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया

समाहर्त्ता,
खगड़िया

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0 35 /विधि, दिनांक 13/8/2017 प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 3/8/2017 प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, खगड़िया। 3/8/17	